

12-12-19

Not Press
17/12/19

पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान वकील
उपरोक्त पत्रकारों ने T.I. माफ़
को आगे नहीं चलाने हेतु निर्देश
किया है एवं इसबाब Not Press भी
किया है अतः प्रायोगिकों का T.I. माफ़
Not Press में खारिज किया गया। पत्रावली
फंसल शुमार होकर क्रम नम्बर से कम
हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया

गया
K/w
उप खण्ड अधिकारी
साँगर लेक

